न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 16/2021 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2021/16)

प्रधुम्न कुमार पुत्र श्री भूपालसिंह निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी 117, बापू नगर भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 10.12.2020 अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 05.09.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट प्रधुम्नसिंह के द्वारा स्वयं के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु तहत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 14.9.2020 को प्रस्तुत किया गया। तहत कार्यालय द्वारा अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पर कार्यवाही करते हुये जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट कमांक 1728 दिनांक 1.12.2020 द्वारा आवेदक प्रधुम्न सिंह के विरूद्ध अपराध संख्या 308/19 धारा 498, 323, 341, 377, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ जिसमें एफ आई आर नं0 183 दिनांक 20.12.2019 को किता कर दिनांक 10.1.2020 को पेश न्यायालय की जा चुकी है एवं अपराध संख्या 73/20 धारा 323, 341, 354 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ है जो गैर अनुसंधान है का जिक करते हुये कोई औचित्य परक कारण प्रतीत नहीं होने के कारण नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की है। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 1.12.2019 के आधार पर अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2020 से

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। सहायक लोक अभियोजक नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2020 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में संलग्न विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई रिपोर्टस का अवलोकन नहीं किया और न ही पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट को सही रूप से विवेचित किया। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में ही स्पष्ट किया था कि अपीलान्ट का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। अपीलान्ट की पत्नी नीतूसिंह ने दिनांक 24.8.2020 को एक सार्प शूटर आशीष नामक शमसाबाद उत्तर प्रदेश को जान से मारने के लिये मेरे घर पर भिजवाया था। जिसे वक्त रहते पकड लिया गया व पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। इस संबंध में शुटर के विरूद्ध एफ.आई.आर नं0 191/2020 अंतर्गत धारा 452,506,120बी व 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण में शूटर आज दिनांक तक सेवर जेल में बन्द है। सेवर जेल में बंद हत्यारे के साथियों द्वारा अपीलान्ट को लगातार धमकियां मिलने व दिनांक 10.12.2020 को अज्ञात नम्बर 8290679475 द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी लिखित तहरीर अपीलान्ट ने थाना अटलबन्ध में दी थी। इसे पूर्व के मुकदमें में तफतीश में शामिल कर लिया गया है। इस कारण अपीलान्ट ने भय के कारण आत्मसुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन किया था। इस संबंध में समस्त दस्तावेज अपीलान्ट ने अनुज्ञापत्र आवेदन के साथ संलग्न किये गये थे, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने इन सब दस्तावेजात को नजरअंदाज कर अपीलीधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट का आवेदन खारिज किया है जो कि त्रुटीपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। थानाधिकारी अटलबन्ध द्वारा अपीलान्ट पर दर्ज जिन दो मुकदमों का हवाला दिया गया है वह दोनों मुकदमें अपीलान्ट की पत्नी द्वारा झूठे दर्ज कराए गए हैं तथा दोनों मुकदमों 308/19, 73/20 में पुलिस द्वारा जांच की गई और जांच के बाद झूठे पाये गये है। उक्त दोनों प्रकरणों में पुलिस द्वारा एफ0 आर0 लगा दी गई है। इन समस्त तथ्यों को तहत न्यायालय ने गौर किये बिना आज्ञा जेरे अपील पारित की है जो काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है और लगातार अपीलान्ट को जान से मारने की धमकीयां मिल रही है। अपीलान्ट को अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र की बेहद आवश्यकता है अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर गौर नहीं किया है और मात्र रिपोर्ट को आधार बना लिया है जबकि रिपोर्ट में दिखाये गये प्रकरण बाद जांच झूठे पाये गये है पुलिस ने एफ आर लगा दी है फिर भी तहत अदालत ने उन्हीं को आधार बनाया है अपीलान्ट की जान की परवाह किये बगैर कि अपीलान्ट की जान माल का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खतरा बना हुआ है इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है। तहत अदालत का आदेश बिना विवेचना किये आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है लिहाजा न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2020 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.12.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 14.01.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर अपील को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.12.2020 को जिला कलक्टर कार्यालय में जाने पर होने व जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का अनुरोध किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में लिखे गए दिनांक से पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। उपरोक्त अपील में अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। इनमें वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र संबंधी पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट दिनांक 01.12.2020 में अपीलान्ट के विरूद्ध अभियोग संख्या 308/19 धारा 498, 323, 341, 377, 504, 506 व अभियोग संख्या 73/20 अन्तर्गत धारा 323, 341, 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होने के कारण आर्म्स रूल्स 2016 के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का कोई औचित्यपरक कारण प्रतीत नहीं होने के कारण नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की गई। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अनुज्ञा पत्र आवेदन संबंधी पत्रावली में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर द्वारा पत्रावली के पैरा संख्या 7/एन में की गई टिप्पणी कि एसपी साहब द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने हेतु अपनी राय प्रेषित की है। आदेश हो तो पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप कर दी जाए। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा "Ok.Reject" करने का आदेश दिया गया। इसके बाद में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में किसी तरह का कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से जारी नहीं किया गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि आयुध अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट की ओर से न्यायिक विवेक का उपयोग करने के बाद समुचित आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर की ओर से की गई टिप्पणी के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन को निरस्त किया गया है, जो कि न तो स्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है और न ही स्पीकिंग आदेश ही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट व स्पीकिंग आदेश पारित नहीं कर केवल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर की ओर से की गई टिप्पणी को आधार मानकर दिनांक 10.12.2020 को अपीलान्ट के आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है, जो कि आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 के संबंध में आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए विस्तृत व स्पष्ट निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर